फर्द अहकाम

[illegible] बनाम सीताराम व अन्य

यालय उपखण्ड अधिकारी II सांगानेर

ख्या 185/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
14/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर विभाजन विधिवत पृथक से किया जाकर (सुनाया गया) पत्रावली नम्बर से खारिज (बाद तकमील मुकदमा दाखिल के साथ संलग्न हो। (सुनाया गया)) [illegible] अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 185/2024
निर्णय दिनांक : 14.02.2025

उनवानी

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 रामू उर्फ रामलाल
2. गणेश पुत्र स्व0 रामू उर्फ रामलाल
3. ध्योजीराम पुत्र स्व0 रामू उर्फ रामलाल
4. मुकेश पुत्र स्व0 रामू उर्फ रामलाल
5. श्रीमति रूडीदेवी पत्नि स्व0 रामू उर्फ रामलाल
   समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

बनाम — प्रार्थीया

1. सीताराम पुत्र स्व० नानू
2. बाबूलाल पुत्र स्व० नानू
3. श्रीनारायण पुत्र स्व० नानू
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० नानू
5. गोपाललाल पुत्र स्व० रामनारायण (पौत्र स्व० नानू)
6. कालूराम पुत्र स्व० रामनारायण (पौत्र स्व० नानू)
   समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक, सांगानेर–प्रथम, पंजीयन विभाग, सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एंव धारा 151 सी०पी०सी० बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एंव धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त उनवानी दावा बाबत् घोषणा खातेदारी हक हकूक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है जो ठोस, सारवान तथ्यो व प्रलेखीय साक्ष्यो पर आधारित होने के कारण प्रार्थीगण को उक्त वाद पत्र पत्र में सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित हाल खसरा नम्बर रकबा 0.14 928 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा था। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को एतद्पश्चात "विवादित भूमि" शब्द से सम्बोधित किया जा रहा है। प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीया संख्या 5 के पति श्री रामू पुत्र रामनाथ का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को हो चुका है। प्रार्थी के पिता/पति स्व० रामू पुत्र रामनाथ ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

। इकरारनामा व की पूर्ति स्व0 नानू पुत्र जीवा जी कि उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था, से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.06.1981 (रजिस्टर्ड दिनांक 30 जून सन् 1981) से आराजी खसरा नम्बर 248/930 रकबा 11 बिस्वा को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर के बही दिनांक 30 जून, 1981 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 73 क्रम संख्या 367 पृष्ठ संख्या 148 से 151 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। प्रार्थीगण के पिता/पति रामू ने अप्रार्थीगण के पिता/दादा नानू को विवादित भूमि की मूल्यवान प्रतिफल राशि का भुगतान करके क्रय कर मौके पर वास्तविक एवं शांतिपूर्ण भौतिक कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीगण के पिता/पति विवादित भूमि के वास्तविक क्रेता (बोनाफाईड परचेजर) रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता/पति जीवनपर्यन्त उक्त वर्णित भूमि पर काबिज काश्त रहे और उनके देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि में बाड़/टीनशेड बना रखे हैं तथा पक्की बाउण्ड्री वॉल से उक्त भूमि को महफूज कर रखा है। इस प्रकार विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें प्रार्थीगण के वारिस व उत्तराधिकारी की हैसियत में कानूनी हक हकूक अधिकार निहित चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध, सरोकार, वास्ता, लेना-देना नहीं है। अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 रामू अशिक्षित थे जो ग्रामीण परिवेश के भोले भाले स्वभाव के किसान थे, जिनको कानूनी ज्ञान नहीं था कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर खातेदारी दर्ज करवानी होती है तथा उक्त विक्रय पत्र को ही अपनी खातेदारी मानते रहे। प्रार्थीगण इस विश्वास में थे कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उनके पिता/पति स्व0 रामू के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण के पिता/पति रामू का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को होने के पश्चात स्व0 रामू द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमियों की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि हाल खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी स्व0 नानू पुत्र मुकेश यादव जीवा अहीर के वारिसान (अप्रार्थीगण) के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थीगण उक्त बात सुनकर आश्चर्यचकित एवं दुःखी हो गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार, सांगानेर के समक्ष चलकर सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण पूर्व में तो हामी भरते रहे और कहते रहे कि आप अपने पिताजी के समय से ही वक्त खरीद से लेकर आज तक निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, हम हमारी सुविधानुसार कभी भी आपके हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करवा देंगे। प्रार्थीगण ने बार-बार आग्रह किया तो बार-बार उक्त आश्वासन देते रहे और टालमटोली करके समय जाया करते रहे। चूंकि उक्त कृषि भूमि बेशकीमती है इसलिये अब अप्रार्थीगण की नियत में खोट व बेईमानी आ गई है और दिनांक 23.04.2024 को अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हक में स्वीकृत कराने हेतु तहसील में चलने से इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दी कि हम अपने नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों के आधार पर तुम्हें बाहुबल व भुजबल के आधार पर उक्त भूमि से बेदखल करेंगे और हमारे नाम से दर्ज खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रविष्टियों के आधार पर दीगरान सहित व भूमाफिया गिरोह को बेचान, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि को बेचान करेंगे तथा दीगरान को आम व खास मुख्त्यार नियुक्त करेंगे। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों हेतु आवेदन करने पर दिनांक 26.04.2024, 26.04.2024 व उक्त विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 29.04.2024 को प्राप्त हुई तथा नामान्तरकरण संख्या 440 की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04.05.2024 को प्राप्त हुई तब प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण व उसके आधार पर दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों की पुख्ता जानकारी हुई, इससे पूर्व उक्त नामान्तरकरण व उसके आधार पर दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीगण की ओर से उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत पेश कर दी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व स्व० बद्री पुत्र स्व० नानू ने तहसीलदार, सांगानेर से साजबाज करके, अनाधिकृत रूप से, अवैध व गैरकानूनी तरीके से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करवाई है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व स्व० बद्री पुत्र स्व० नानू का विवादित भूमि से कोई संबंध, सरोकार, वास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व स्व० बद्री पुत्र स्व० नानू का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं था और ना ही कभी रहा है और ना ही वर्तमान में है। उक्त गैरकानूनी व अवैध नामान्तरकरण स्वीकृति करने से पूर्व एंव उक्त अवैध नामान्तरकरण के आधार पर गलत व गैरकानूनी खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करने से पूर्व मौके पर काबिज प्रार्थीगण के पिता/पति रामू उर्फ रामलाल पुत्र रामनाथ कौम अहीर सद्भाविक क्रेता को व प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना ही, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत करके गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज की गई है जो प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को भलीभाँति जानकारी थी कि उनके पूर्वज स्व० नानू पुत्र स्व० जौधा ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण के पिता/पति को विक्रय करके मौके पर रामू को वास्तविक एंव मालिकाना भौतिक कब्जा वाकई सौंप दिया था। जिस पर स्व० रामू जीवनभर काबिज काश्त रहा था और उनके देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहें है। इसके वावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व इनके स्व० भाई बद्री ने तहसीलदार, सांगानेर से सांठगांठ करके गलत, गैरकानूनी व विधि विरूद्ध नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करवाई गई है जो अनाधिकृत है तथा प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है। अप्रार्थीगण के पूर्वज स्व० नानू ने अपने जीवनकाल में एंव उनके देहान्त के पश्चात अप्रार्थीगण ने उक्त विक्रय पत्र को किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी है और ना ही किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उक्त विक्रय पत्र को निरस्त/रद्ध घोषित किया गया है। उक्त विक्रय पत्र प्रभावशील व वैध है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण विवादित भूमि की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त विक्रय पत्र निष्पादन दिनांक 10 जून, 1981 (पंजीयन दिनांक 30 जून, 1981) के आधार पर उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता/पति रामू जीवनभर काबिज काश्त रहे और उनके देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण निख्तर काबिज काश्त चले आ रहें है। अप्रार्थीगण का

प्रकरण अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध, सरोकार, वास्ता नहीं है। उक्त विक्रय पत्र एंव मौके पर कब्जे के आधार पर अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियां प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है जो हजफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व स्व० बद्री पुत्र स्व० नानू ने तहसीलदार, सांगानेर से साजबाज करके, अनाधिकृत रूप से, अवैध व गैरकानूनी तरीके से गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करवाई है जो कतई गैरकानूनी व विधि विरूद्ध होने के कारण प्रार्थीगण के अधिकारो के विरूद्ध प्रारम्भ से शुन्य है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्व रामू उर्फ रामलाल पुत्र रामनाथ अहीर विवादित भूमि का सद्भाविक क्रेता (बोनाफाईड परचेजर) रहा है तथा प्रार्थीगण स्व० रामू उर्फ रामलाल के वारिसान व उत्तराधिकारी है। इसलिये उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है। विवादित भूमि के उक्त नामान्तरकरण व जमाबन्दी में दर्ज बद्री पुत्र स्व० नानू अविवाहित फौत हो चुका है जिसके कोई वारिसान नही है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो, परिस्थितियो व प्रलेखीय साक्ष्यो के दुरूस्ती व खातेदारी की प्राप्त करने के आधार पर प्रार्थीगण इन्द्राज घोषणा की डिक्री इस आशय अधिकारी है कि, राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साविक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, के समस्त राजस्व अभिलेखो में अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी प्रविष्टियो को हज्फ किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता/दादा नानू द्वारा प्रार्थीगण के पिता/पति रामू के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10 जून, 1981 (पंजीयन दिनांक 30 जून, 1981) के आधार पर प्रार्थीगण को उक्त लसीनारायण गणराया ११ श्योजीराम यादव कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण के पिता/पति स्व० रामू अशिक्षित थे जो ग्रामीण परिवेश के भोले भाले स्वभाव के किसान थे, जिनको कानूनी ज्ञान नहीं था कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर खातेदारी दर्ज करवानी होती है तथा उक्त विक्रय पत्र को ही अपनी खातेदारी मानते रहे। प्रार्थीगण इस विश्वास में थे कि उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उनके पिता/पति स्व० रामू के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत होकर खातेदारी दर्ज चली आ रही है। विवादित नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मौके पर काविज प्रार्थीगण के पिता/पति रामू को एंव प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु कोई नोटिस नहीं दिया गया, सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थीगण के पिता/पति रामू का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को होने के पश्चात स्व० रामू द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमियो की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि हाल खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी स्व० नानू पुत्र जौधा अहीर के वारिसान (अप्रार्थीगण) के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थीगण उक्त बात सुनकर आश्चर्यचकित एंव दुःखी हो गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार, सांगानेर के समक्ष चलकर सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण पूर्व में तो

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हामी भरते रहे और कहते रहे कि आप अपने पिताजी के समय से ही वक्त खरीद से लेकर आज तक निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, हम हमारी सुविधानुसार कभी भी आपके हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करवा देगे। प्रार्थीगण ने बार-बार आग्रह किया तो बार-बार उक्त आश्वासन देते रहे और टालमटोली करके समय जाया करते रहे। चूँकि उक्त कृषि भूमि बेशकीमती है इसलिये अब अप्रार्थीगण की नियत में खोट व बेईमानी आ गई है और दिनांक 23.04.2024 को अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हक में स्वीकृत कराने हेतु तहसील में चलने से इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम अपने नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर तुम्हे बाहुबल व भुजबल के आधार पर उक्त भूमि से बेदखल करेगें और हमारे नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर दीगरान् लठैत व भूमाफिया गिरोह को बैचान, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि को बैचान करेगे तथा दीगरान को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करेगे। जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थीगण अपनी बैजा गैरकानूनी हरकतो से बाज नहीं आ रहें है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण माननीय न्यायालय हाजा के जरिये अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराने के अधिकारी है कि राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सरहद में खाता संख्या नया 186 पुराना 174 के अर्न्तगत स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि सांविक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, को अथवा उसके किसी भी अंश व भाग को अप्रार्थीगण अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर दीगरान् को बैचान, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा दीगरान् को आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेद्ध रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरणीय लेख्य पत्र का निष्पादन व पंजीयन करने/कराने से निषेद्ध रहे तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने से निषेद्ध रहे तथा अपने परिवारजनो, एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे । वादहेतुक प्रार्थीगण के पिता/पति रामू का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को होने के पश्चात स्व० रामू द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमियो की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने रिकार्ड देखकर बताया कि हाल खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर की खातेदारी स्व० नानू पुत्र जौधा अहीर के वारिसान (अप्रार्थीगण) के नाम से दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थीगण उक्त बात सुनकर आश्चर्यचकित एंव दुःखी हो गये। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से सम्पर्क किया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार, सांगानेर के समक्ष चलकर सहमति प्रदान करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण पूर्व में तो हामी भरते रहे और कहते रहे कि आप अपने पिताजी के समय से ही वक्त खरीद से लेकर आज तक निरन्तर उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, हम हमारी सुविधानुसार कभी भी आपके हक में नामान्तरकरण स्वीकृत करवा देगे। प्रार्थीगण ने बार-बार आग्रह किया तो बार-बार उक्त आश्वासन देते रहे और टालमटोली करके समय जाया

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

करते रहे। चूंकि उक्त कृषि भूमि बेशकीमती है इसलिये अब अप्रार्थीगण की नियत में खोट व बेईमानी आ गई है और दिनांक 23.04.2024 को अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थीगण के हक में स्वीकृत कराने हेतु तहसील में जाने से इन्कार कर दिया और प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम अपने नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियों के आधार पर तुम्हें बाहुबल व भुजबल के आधार पर उक्त भूमि से बेदखल करेंगे और हमारे नाम से दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर दीगरान् व्यक्ति व भूमाफिया गिरोह को बेचान, हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि को बेचान करेंगे तथा दीगरान को आम व खास मुख्त्यार नियुक्त करेंगे। इस प्रकार निरन्तर वादहेतुक जारी है। वाद आपातकालीन प्रकृति है क्योंकि अप्रार्थीगण अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर विवादित भूमि को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बय इत्यादि करने व प्रार्थीगण को बाहुबल व भुजबल के आधार पर बेदखल करने की फिराक में है। ऐसी स्थिति में राज० सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तथा उप पंजीयक, सांगानेर प्रथम को धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिये बिना ही वाद संस्थित किया गया है। उक्त नोटिस की छूट प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 80 (2) सी०पी०सी० पृथक से प्रस्तुत है। जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर उक्त नोटिस की छूट प्रदान करते हुए वाद संस्थित करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित तथ्यो, परिस्थितियो व प्रलेखीय साक्ष्यो के आधार पर वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत प्रकरण तथा तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन साबित है। मूल वाद के निस्तारण तक प्रतिवादीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगणा अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर विवादित भूमि को दीगरान को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बय इत्यादि करने में सफल हो जायेगे तथा लकी नारायण प्रार्थीगण को बाहुबल व भूजबल के आधार पर बेदखल कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण की ओर से वाद प्रस्तुत करने का मकसद फौत हो जायेगा, जिससे प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा तथा वाद बाहुलता होगी, न्याय व न्यायालय पर अतिरिक्त भार बढेगा और प्रार्थीगण को अनेको विचारण का सामना करना पड़ेगा, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका द्रव्य में मुल्यांकन नही किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाकर अप्रार्थीगण को वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करे कि वाके राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 186 के खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, को अथवा उसके किसी भी अंश व भाग को अप्रार्थीगण अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर खातेदारी दीगरान् को बैचान, हस्तान्तरण, अनुबंध, बक्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादी करने से निषेद्ध रहे तथा दीगरान को आम व खास मुखत्यार नियुक्ति से निषेध रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरण लेख पत्र का निरपादन व पंजीयन करने/कराने से निषेध रहे तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, मदाखलत, मजाहमत इत्यादी करने से निषेद्ध रहे तथा अपनी परिवाजनों, एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे। अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय हाजा उचित समझे, प्रार्थीगण के पक्ष में पारित फरमाने की कृपा करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 6 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 30.01.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 व 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस प्रार्थना पत्र वकील वादी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करे कि वाके राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 186 के खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने है, को अथवा उसके किसी भी अंश व भाग को अप्रार्थीगण अपने नाम से दर्ज गलत खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर खातेदारी दीगरान् को बैचान, हस्तान्तरण, अनुबंध, बक्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादी करने से निषेद्ध रहे तथा दीगरान को आम व खास मुखत्यार नियुक्ति से निषेध रहे तथा किसी भी प्रकार का कोई हस्तान्तरण लेख पत्र का निस्पादन व पंजीयन करने/कराने से निषेध रहे तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त , उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, मदाखलत, मजाहमत इत्यादी करने से निषेद्ध रहे तथा अपनी परिवाजनों, एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेद्ध रखे। अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय हाजा उचित समझे, प्रार्थीगण के पक्ष में पारित फरमाने की कृपा करे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता व प्रार्थीया संख्या 5 के पति श्री रामू पुत्र रामनाथ का देहान्त दिनांक 07.01.2022 को हो चुका है। प्रार्थी के पिता/पति स्व० रामू पुत्र रामनाथ ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पूर्वज स्व० नानू पुत्र जौधा जो कि उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार था, से लिपिबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 10.06.1981 (रजिस्टर्ड दिनांक 30 जून सन् 1981) के जरिये खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र कार्यालय उप पंजीयक, सांगानेर के यहाँ दिनांक 30 जून, 1981 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 73 क्रम संख्या 357 पृष्ठ संख्या 149 से 151 पर पंजीबद्ध किया हुआ है। प्रार्थीगण के पिता/पति रामू ने अप्रार्थीगण के पिता/दादा नानू को विवादित भूमि की मुल्यवान प्रतिफल राशि का भुगतान करके क्रय कर मौके पर वास्तविक एंव मालिकाना भौतिक कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थीगण के पिता/पति जीवनभर उक्त वर्णित भूमि पर काबिज काश्त रहे और उनके देहान्त के पश्चात प्रार्थीगण निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहें है। विवादित

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पत्ति है। प्रार्थीगण के पिता/पति स्व० रामू अशिक्षित थे जो ग्रामीण परिवेश के भोले भाले स्वभाव के किसान थे, जिनको कानूनी ज्ञान नहीं था कि विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करवा कर खातेदारी दर्ज करवानी होती है तथा उक्त विक्रय पत्र को ही अपनी खातेदारी मानते रहे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व स्व० बद्री पुत्र स्व० नानू ने तहसीलदार, सांगानेर से साजबाज करके, अनाधिकृत रूप से, अवैध व गैरकानूनी तरीके से उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करवाकर गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करवाई है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 व स्व० बद्री पुत्र स्व० नानू का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं था और ना ही कभी रहा है और ना ही वर्तमान में है। उक्त गैरकानूनी व अवैध नामान्तरकरण स्वीकृति करने से पूर्व एंव उक्त अवैध नामान्तरकरण के आधार पर गलत व गैरकानूनी खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज करने से पूर्व मौके पर काबिज प्रार्थीगण के पिता/पति रामू उर्फ रामलाल पुत्र रामनाथ कौम अहीर सद्भाविक क्रेता को व प्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये बिना ही, साक्ष्य सबूत व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत करके गलत खातेदारी प्रविष्टियां दर्ज की गई है विवादित भूमि के उक्त नामान्तरकरण व जमाबन्दी में दर्ज बद्री पुत्र स्व० नानू अविवाहित फौत हो चुका है जिसके कोई वारिसान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एंव धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.07.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वाके राजस्व ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का शिकारपुरा, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 186 के खसरा नम्बर 928 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो कि साबिक खसरा नम्बर 749/930 रकबा 11 बिस्वा से बने खसरो में मौके की यथास्थिति बनाये रखे व प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त , उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, मदाखलत, मजाहमत इत्यादी नो करे व अपनी परिवाजनों, एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि को भी ना करावे।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर